इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2013—माघ 30, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. एफ-ए-2-8-2002-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्यपाल सचिवालय तथा हाउस होल्ड (अराजपत्रित), तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) अनुसूची-एक में,

(क) अनुक्रमांक 10, 13 तथा 26 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
		सचिवालय	हा.हो.	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"10	सहायक ग्रेड-तीन	5	4	9	तृतीय श्रेणी	3050—75—3950—80—4590	—
13	टेलीफोन आपरेटर	-	4	4	-तदैव-	-तदैव-	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	सत्कार सहायक	1	-	1	चतुर्थ श्रेणी	2750—70—3800—75—4400	—.''.

(2) अनुसूची-दो में,

(एक) अनुक्रमांक 10, 13 तथा 26 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1)(क) देखिए] (प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा)	सेवा के सदस्यों की [पदोन्नति द्वारा नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिए]	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
''10	सहायक ग्रेड-तीन	9	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	—
13	टेलीफोन आपरेटर	4	100 प्रतिशत	—	—	—
26	सत्कार सहायक	1	—	100 प्रतिशत	—	—.''.

(दो) अनुसूची दो के अन्तर्गत अभ्युक्ति (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित अभ्युक्ति स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''अभ्युक्ति—ऐसे पद, जो यथास्थिति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नहीं भरे जा सकें, हो उसी संवर्ग के व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे.''.

(3) अनुसूची-चार में,

अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिए)

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी.	कॉलम नं. (2) में दर्शाए गये पद पर सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''13	—	सत्कार सहायक	5 वर्ष	तदैव.''.

(दो) टिप्पणी के अन्तर्गत अनुक्रमांक (3) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(एक) पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो या 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए.

(दो) मान्यता प्राप्त बोर्ड/संगठन से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण होना चाहिए,

(तीन) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की होना चाहिए,—

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
(ग) डीओईएसीसी द्वारा संचालित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा.
(घ) शासकीय पॉलेटेक्नीक महाविद्यालय से मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम.".

(तीन) सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नामों पर उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. एफ-ए-2-8-2002-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-2-8-2002-एक(1), दिनांक 19 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 19th February 2013

No. F-A-2-8-2002-One (1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Governor's Secretariat and House hold (Non-Gazetted) Class-III and Class-IV Service Recruitment Rules, 2007, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in Schedule-I,

(a) for serial number 10, 13 and 26 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

S. No.	Name of posts included in the service	Number of Posts			Classification	Pay Scale	Remark
		Secretariat	H.H.	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"10	Assistant Grade-III	5	4	9	Class-III	3050—75—3950—80—4590	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Telephone Operator	—	4	4	Class-III	3050—75—3950—80—4590	—
26	Satkar Sahayak	1	—	1	Class-IV	2750—70—3800—75—4400	—.".

(2) In Schedule-II,

(i) for serial number 10, 13 and 26 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

S. No.	Name of the post included in the service	Total No. of Posts	By direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)] (By Competitive Exam or by Interview)	by Promotion of the members of the service [See Rule 6(1) (b)]	By Temporary Transfer or Deputation of Persons of others services [See Rule 6(1)(c)]	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"10	Assistant Grade-III	09	75%	25%	—	—
13	Telephone Operator	04	100%	—	—	—
26	Satkar Sahayak	01	—	100%	—	—.".

(ii) for the remarks (1) and (2) under Schedule II, the following remark shall be substituted, namely :—

" Remark-such posts which could not be filled up by Direct Recruitment or by Promotions, as the case may be, than such posts may be filled by the deputation of the person from the same cadre.".

(3) in Schedule-IV,

(i) for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

S. No.	Name of post from which promotion will be made	Name of post to which promotion would be made	No. of years of service on the post shown in Column No. (2)	Name of the members of Departmental Promotion Committee (See Rule 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13	—	Satkar Sahayak	5 year	-do-.".

(ii) under the note, for serial number (3) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

" (i) Should have passed Higher Secondary Examination under the old Pattern or passed Higher Secondary 12th under 10+2 Pattern.

(ii) Should have passed Hindi typing from recognized Board/Organisation.

(iii) Should have passed Computer Examination from any of the following recognized Institutes,—

(a) Diploma from any University recognized by UGC.

(b) Diploma from any Open University recognized by UGC.

(c) Diploma level examination conducted by DOEACC.

(d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College."

(iii) Names of employees included in the list would be considered according to their inverse seniority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.